

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर याचिका संख्या 14139/2021 जगा राम बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम स्थगनादेश दिनांक 23.10.2021 की अनुपालना में इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.07.2022 द्वारा श्री जगा राम, प्रधानाचार्य को माननीय न्यायालय के आगामी/अंतिम आदेश के अधधीन राउमावि भादरलाउ (221418) जिला पाली में यथावत एवं स्थगन से प्रभावित प्रधानाचार्य श्री महावीर सिंह का समायोजन/पदस्थापन राउमावि भैंसाना (214148), सोजत जिला पाली में किया गया था।

उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए श्री महावीर सिंह का समायोजन/पदस्थापन राउमावि विंगरला (221410), रानी जिला पाली में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है। श्री महावीर सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने नवीन समायोजन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यमुक्ति/कार्यग्रहण की सूचना शाला दर्पण पोर्टल पर इन्द्राज किया जाना सुनिश्चित करें।

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/याचिका/जगाराम/14139/2021/7 दिनांक: 01-08-2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीया शिक्षा राज्य मंत्री, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
5. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक।
7. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर जयते
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)